झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

द्वादश (बजट) सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न बुधवार,दिनांक- 04 माघ, 1939 (श0) / 24 जनवरी, 2018 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगेः-

क.सं.	विभागों को संसूचित की गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
233.	पेय-19	श्री जानकी प्रसाद यादव	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
234.	न-23	डॉ0 इरफान अंसारी	फ्लाईओभर की दिशा बदलने के संबंध में।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
235.	पेय-13	श्री आलोक कुमार चौरसिया	जलापूर्ति कराने एवं संवेदक पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	11.01.18
236.	न-14	श्री राज कुमार यादव	नगर पंचायत का दर्जा देना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
237.	न-05	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	हाई मास्ट लाईट का मेंटनेंस।	नगर विकास एवं आवास	11.01.18
238.	न-15	श्री राज कुमार यादव	नगर पंचायत का दर्जा देना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
239.	पेय-44	श्री मनोज कुमार यादव	जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं दोषी पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.01.18
240.	पथ-26	श्री दीपक बिरूवा	अतिक्रमण हटाना एवं नहर पर पुलिया का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
241.	पथ-28	श्री सुखदेव भगत	दोषी पर कार्रवाई एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य कराना।	पथ निर्माण	15.01.18

क्र0पृ030/

01	02	03	04	05	06
242.	पथ-01	श्री आलमगीर आलम	पथ का निर्माण एवं दोषी पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	05.01.18
243.	पेय-02	श्री दशरथ गागराई	जलापूर्ति बहाल करना एवं दोषियों पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	05.01.18
244.	पथ-33	श्री साईमन मरांडी	दोषी पर कार्रवाई एवं पथ पूर्ण कराना।	पथ निर्माण	15.01.18
245.	पेय-27	श्री जगरनाथ महतो	पाईप लाईन से जलापूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
246.	न-01	श्री योगेश्वर महतो	संपर्क पथ का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	08.01.18
247.	पेय-16	श्री जानकी प्रसाद यादव	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
248.	पथ-04	डॉ० इरफान अंसारी	पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण।	पथ निर्माण	05.01.18
249.	पेय-28	श्री हरिकृष्ण सिंह	जलमीनार का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
250.	न-08	श्री अमित कुमार मंडल	पैदल पथ एवं पार्क का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
251.	पथ-35	श्री साधुचरण महतो	पुल एवं पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
252.	पथ-07	श्री राम कुमार पाहन	मुआवजा का भुगतान।	पथ निर्माण	09.01.18
253.	पथ-36	श्री शशिभूषण सामाड़	कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	15.01.18
254.	पेय-33	श्री नागेन्द्र महतो	जलापूर्ति योजना की स्वीकृति।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
255.	पथ-27	श्री ताला मरांडी	बाईपास का निर्माण कराना।	पथ निर्माण	15.01.18
256.	पेय-18	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	पाईपलाईन से जलापूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
257.	पथ-12	श्री शिव शंकर उराँव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	11.01.18
258.	न-16	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	स्ट्रीट वेंडरों का स्थान निश्चित करना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
259.	पेय-41	श्री नलिन सोरेन	डीपबोरिंग कर जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.01.18
260.	पेय-24	श्री भानु प्रताप शाही	पाईपलाईन से जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
261.	पथ-13	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	11.01.18
262.	परि-01	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	बसों का परिचालन।	परिवहन	15.01.18
263.	न-13	श्री विरंची नारायण	वेंडिंग जोन को चिन्हित करना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18

264.	पेय-45	श्री मनोज कुमार यादव	नये जलापूर्ति का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	17.01.18
265.	पेय-22	श्री अमित कुमार मंडल	सोलरयुक्त जलमीनार से जलापूर्ति	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
266.	पेय-03	श्री आलमगीर आलम	चापाकल की मरम्मति एवं जलापूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.01.18

कृ०पृ०उ०/

☆ पेय-35, पत्रांक-377, दिनांक-18.01.18 द्वारा पथ निर्माण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

पेय-13, पत्रांक-345, दिनांक-17.01.18 द्वारा पथ निर्माण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
267.	पथ-46	श्री नलीन सोरेन	अधिग्रहित जमीन का मुआवजा।	पथ निर्माण	16.01.18
268.	पेय-05	श्री कुणाल षड़ंगी	जलापूर्ति योजना उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.01.18
269.	पथ-22	डॉ0. जीतू चरण राम	फ्लाईओभर ब्रीज का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
270.	पथ-40	श्री प्रकाश राम	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
271.	पथ-02	श्री अशोक कुमार	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	05.01.18
272.	पथ-32	श्री फूलचन्द मंडल	पथ का चौड़ी एवं मजबूतीकरण।	पथ निर्माण	15.01.18
273.	पेय-04	श्री योगेश्वर महतो	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.01.18
274.	पेय-20	श्रीमती विमला प्रधान	चापानलों की मरम्मती।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
275.	पेय-29	श्री लक्ष्मण टुडू	जलापूर्ति योजना चालू करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
276.	न-19	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	प्रधानमंत्री योजना का लाभ देना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
277.	भ-03	श्री भानु प्रताप शाही	काराभवन का निर्माण पूर्ण कराना।	भवन निर्माण	15.01.18
278.	न-22	श्री सुखदेव भगत	इफिल्ट्रेशल वेल एवं गैलेरी का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
279.	पेय-42	श्रीमती जोबा माँझी	डीप बोरिंग से जलापूर्ति।	पेयज़ल एवं स्वच्छता	16.01.18
280.	पथ-06	श्री राम कुमार पाहन	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	05.01.18
281.	परि-02	श्रीमती निर्मला देवी	भारी वाहनों के आवागमन पर रोक।	परिवहन	15.01.18
282.	न-18	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	पोखरा का जीर्णोद्धार एवं पार्क बनाना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
283.	पेय-35	श्री साईमन मरांडी	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
284.	न-02	श्री अरुप चटर्जी	दोषी पर कार्रवाई।	नगर विकास एवं आवास	09.01.18
285.	पथ-05	श्री फूलचन्द मंडल	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	05.01.18
286.	पेय-30	प्रो0 स्टीफन मरांडी	जलमीनार को चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
287.	न-06	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	मामले की जाँच।	नगर विकास एवं आवास	11.01.18

288.	पेय-34	श्री नागेन्द्र महतो	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
289.	पेय-15	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	पाईपलाईन से जलापूर्ति उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
290.	पथ-17	श्री योगेन्द्र प्रसाद	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
291.	पथ-16	श्री योगेन्द्र प्रसाद	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
292.	पेय-31	श्री चम्पाई सोरेन	पेजयल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
293.	न-03	श्री राज सिन्हा	नियम का अनुपालन।	नगर विकास एवं आवास	11.01.18

कृ०पृ०30/

☆ पथ-22, पत्रांक-419, दि० 19-01-18 द्वारा पथ निर्माण विभाग से नगर विकास एवं आवास में स्थानांतरित।

पथ-32, पत्रांक-344, दि०-17-01-18 द्वारा पथ निर्माण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

△ पथ-05, पत्रांक-433, दिनांक-19-01-18 द्वारा पथ निर्माण विभाग से उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
294.	पथ-34	श्री साधु चरण महतो	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
295.	पथ-20	श्री जगरनाथ महतो	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
296.	पेय-07	श्री कुणाल षड़ंगी	ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.01.18
297.	पेय-23	श्री राज सिन्हा	जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
298.	पेय-39	श्री अरूप चटर्जी	नियमानुसार स्थानान्तरण करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
299.	पेय-12	श्री शिव शंकर उराँव	पम्प हाउस से जलापूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	11.01.18
300.	पथ-30	श्री ग्लेन जोसफ गॉलस्टन	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
301.	पथ-09	प्रो० स्टीफन मराण्डी	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	09.01.18
302.	न-07	श्रीमती बिमला प्रधान	जलापूर्ति करना।	नगर विकास एवं आवास	15.01.18
303.	पथ-25	श्री दीपक बिरुवा	दोषियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	15.01.18
304.	पेय-40	प्रो० जय प्रकाश वर्मा	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
305.	पेय-17	श्रीमती जोबा मांझी	जलापूर्ति की योजनाएँ पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.18
306.	पथ-38	प्रो० जय प्रकाश वर्मा	जर्जर रोड को पुनः निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
307.	पेय-08	श्रीमती गीता कोड़ा	रैयतों का पुनर्वास।	पेयजल एवं स्वच्छता	09.01.18
308.	पेय-01	श्री अशोक कुमार	नलकूप की मरम्मति।	पेयजल एवं स्वच्छता	05.01.18
309.	पेय-09	श्रीमती गीता कोड़ा	शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	09.01.18
310.	पथ-29	श्री ग्लेनजोसफ गॉलस्टन	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	15.01.18
311.	पथ-44	श्री केदार हाजरा	पथ का मजबूतीकरण।	पथ निर्माण	16.01.18

राँची,
दिनांक– 24 जनवरी, 2018(ई०)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न– 05/2015.......989......./वि०स०, राँची, दिनांकः–..22/01/18.....

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.18
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ०पू०30/

☆ पथ-38, पत्रांक-376, दिनांक-18.01.18 द्वारा पथ निर्माण से ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित

ज्ञाप संख्या:-प्रश्न- 05/2015............989....................../वि०स०,राँची,दिनांक:-..22/01/18.........

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

22.01.18

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-प्रश्न- 05/2015............989....................../वि०स०,राँची,दिनांक:-..22/01/18.........

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

22.01.18

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

22.01.18

233

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 19 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला– कोडरमा, प्रखण्ड –जयनगर, खरियोडीह धरौंजा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का D.P.R तैयार है।	वस्तुस्थिति यह है कि कोडरमा जिला के जयनगर प्रखण्ड अन्तर्गत खरियोडीह धरौंजा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण के निमित्त D.P.R पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत् खरियोडीह धरौंजा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय विधायक की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में चलकुशा (प्रखण्ड मुख्यालय) एवं आसन्न ग्रामों की जलापूर्ति योजना तथा तिलोकरी एवं आसन्न ग्रामों की जलापूर्ति योजना की स्वीकृति की जा चुकी है। संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना की स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–68/2017– 355 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 463 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–68/2017– 355 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

(235)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–13 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में कई वर्षों से अधूरे पड़े पेयजल जलापूर्ति योजना (शहरी क्षेत्र) में वाटर आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाने के सरकार के अथक प्रयास के बावजूद भी पदाधिकारी एवं संवेदकों की लापरवाही के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं;	मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना का निर्माण हेतु M/s SMS Paryavaran Ltd., Rohini, New Delhi-110085 को कार्यादेश निर्गत किया गया था। संवेदक द्वारा 18.03.2016 को एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार योजना 27.06.2018 तक पूर्ण करना था। अनेकों स्मार एवं निदेश के उपरान्त भी संवेदक द्वारा कार्य योजना के अनुसार नहीं करने एवं कार्य में लगातार शिथिलता बरतने के कारण एकरारनामा को 28.10.2017 को विखंडित किया गया है। योजना की पुर्ननिविदा की कार्रवाई 31.01.2018 तक पूर्ण की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्य को पूर्ण कराने के लिए सरकार ने ससमय राशि उपलब्ध कराई थी;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवेदक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नये निविदा प्रकाशित करने एवं सह समय कार्य को पूर्ण करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका – 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–63/2017– 360 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 231 दिनांक– 11.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–63/2017– 360 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/01/18

(236)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–24.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–14 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के गाँवा प्रखण्ड अंतर्गत पिहरा पंचायत के ग्राम पिहरा सोलह (16) हजार की घनी आबादी का क्षेत्र है;	गाँवा प्रखण्ड अंतर्गत पिहरा पंचायत का ग्राम पिहरा ग्रामीण क्षेत्र है। सम्प्रति यह शहरी स्थानीय निकाय घोषित नहीं है। अतः जनसंख्या के संबंध में विभाग को आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि घनी आबादी होने के कारण गली/नालीया कुड़ा कचरा से लोगों को काफी तकलीफ उठाना पड़ता है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि सोलह (16) हजार की घनी आबादी के बाद भी पिहरा को अबतक नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है;	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के संसुगत प्रावधानों के अधीन विभिन्न मापदंडों एवं प्रक्रिया को पूरा किये जाने के उपरांत नये शहरी स्थानीय निकाय का गठन किया जाता है। संबंधित जिले के उपायुक्त से तत्संबंधी प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नये नगर निकाय के गठन संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। सम्प्रति पिहरा को नगर पंचायत गठन किये जाने संबंधी प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पिहरा को नगर पंचायत का दर्जा दे कर स्वच्छ/सुन्दर बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका के अनुसार।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–8/तारा०/105/2018/न०वि०आ० 447 रॉंची, दिनांक: 20/01/18

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–475, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/01/18

सरकार के उप सचिव।

श्री राज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक--24.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या--न०--15 का उत्तर प्रतिवेदन:--

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत प्रखंड धनवार घनी आबादी होने के कारण शहरी क्षेत्र के तरह विकसित हो रहा है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि घनी आबादी के कारण गली, नाली, गंदगी, कुड़ा कचरा से भरा होने से लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	सम्प्रति उक्त क्षेत्र के नगर निकाय के रूप में चिन्हित नहीं होने के कारण तत्संबंधी सूचना अप्राप्त है।
3	क्या यह बात सही है कि धनवार के गलीयों सड़कों पर नाली निर्माण भी आधा अधूरा बना हुआ है;	कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनवार को चालू वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत का दर्जा देकर स्वच्छ व सुन्दर बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् जनसंख्या शहर (Census town) के रूप में 4 राजस्व ग्राम धनवार, मायाराम टोला, उपरैली धनवार एवं बुधवाडीह को मिलाकर जनसंख्या--15297 होने के कारण धनवार नगर पंचायत के गठन हेतु उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय अधि० सं0--7217 दिनांक--22.11.17 द्वारा प्रारूप आदेश निर्गत किया गया है तथा 30 दिनों के अंदर उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, गिरीडीह के कार्यालय में समर्पित करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर उपायुक्त, गिरिडीह के स्तर से विचारोपरान्त अनुशंसा प्राप्त होने पर धनवार नगर पंचायत का गठन किये जाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:--8/तारा०/103/2018/न०वि०आ० 448 रॉंची, दिनांक 20/01/18

प्रतिलिपि--अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को उनके पत्र संख्या--470, दिनांक--15.01.2018 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/01/18

सरकार के उप सचिव।

(239)

श्री मनोज कुमार यादव, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 44 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना बरही हजारीबाग के निर्माण के लिए वन विभाग एवं NHAI से अनापत्ति प्रमाण पत्र अबतक अप्राप्त है, जबकि योजना निर्माण की राशि विमुक्त कर दी गई है;	बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु वन विभाग से जुलाई– 2017 में अनापत्ति प्रमाण–पत्र विभाग को प्राप्त हो गया है। NH को आवश्यक NOC शुल्क जमा कर दिया गया है। शीघ्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की संभवना है। DVC से तीन करोड़ राशि प्राप्त हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित योजना का निर्माण कार्य एजेंन्सी की लापरवाही के कारण बंद है जबकि योजना 2008–09 में प्रारंभ की गई थी;	बरही पुर्नगठन योजना वर्ष 2011–12 में कार्य प्रारंभ की गई थी, जिसके अन्तर्गत इन्टेकवेल, गैंगवे, जलमीनार, पम्प अधिष्ठापन इत्यादि का कार्य संवेदक के द्वारा किया जा चुका है। पाईप लाईन बिछाने का कार्य वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं प्राप्त होने के कारण चालू नहीं किया गया था। वन विभाग से NOC प्राप्त होने के उपरान्त संवेदक के द्वारा राईजिंग मेन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने एवं विलम्ब के लिए दोषी एजेंसी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वितरण पाईप लाईन से संबंधित शेष बचे कार्य के निविदा की कार्रवाई की जा रही है। निविदा निस्तार के पश्चात कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा। विलम्ब के लिए दोषी एजेन्सी पर कार्रवाई एकरारनामा के शर्तानुसार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–82/2017– 353 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 749 दिनांक– 17.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह० 23/1/18)

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–82/2017– 353 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह० 23/1/18)

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

मा0, स0वि0स0, श्री दीपक बिरूवा द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता ..	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत सुफलसाई सरायकेला चौक आयुक्त कार्यालय के बगल से जाने वाली सड़क सर्वे नक्सा के अनुसार पी0डब्लू0डी0 पथ के रूप में दर्ज है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सर्वे सड़क को जल संसाधन रोरो सिंचाई विभाग के द्वारा नहर तथा आवासीय बिल्डींग बना कर अतिक्रमण किया है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में सर्वे नक्शा के अनुसार उक्त वर्णित सड़क में अतिक्रमित भाग को खाली कराते हुए आवागमन हेतु नहर में तीन स्पेन पुलिया निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत सुफलसाई सरायकेला चौक आयुक्त कार्यालय के बगल से जानेवाली सड़क लगभग 10 फीट चौड़ी गलीनुमा सड़क है जो नहर के पास जाती है । इसकी लम्बाई लगभग 500 मीटर है । पथ प्रमण्डल चाईबासा के पथों की सूची में यह पथ नहीं है । सर्वे नक्शा के सत्यापन के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । नहर पर तीन स्पेन पुलिया का निर्माण का निर्णय जल संसाधन विभाग से संबंधित है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–23/2018 446(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 490 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–23/2018 446(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(241)

मा0, स0वि0स0, श्री सुखदेव भगत द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा से पेशरार पथ का निर्माण शिवालय कन्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि सड़क निर्माण क्रम में अंधा–धुंद वनों की कटाई एवं जंगल की क्षति पहुँचायी जा रही है । साथ ही अवैध रूप से वनों का पत्थर को सड़क निर्माण कार्य के प्रयोग में लाया जा रहा है ;	इस प्रकार का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है । वन भूमि अपयोजन, Tree felling, भू–अर्जन आदि से संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश सभी संबंधित को संसूचित है ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराने एवं कम्पनी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	कार्य पूर्ण गुणवत्ता से किया जा रहा है एवं राज्य स्तरीय गुण नियंत्रण निदेशालय के दल द्वारा पथ की गुणवत्ता की जाँच दिनांक 17.01.2018 को की गई है । पूर्व में भी गुण नियंत्रण निदेशालय द्वारा पथ की जाँच की गई थी एवं कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गई थी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–19/2018 447(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 492 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–19/2018 447(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(242)

मा0, स0वि0स0, श्री आलमगीर आलम द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बरहरवा प्रखण्ड के दिघी चौक से बरहरवा, श्रीकुण्ड, कोटालपोखर होते हुए पाकुड़ सीमाना तक पथ निर्माण कार्य वर्ष 2015 में प्रारम्भ कराया गया, जिसका रख–रखाव संबंधित संवेदक को वर्ष–2019 तक करना है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित पथ निर्माण के छः माह बाद ही दिघी से बरहरवा तक पथ अत्यन्त जर्जर हो जाने से सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ गयी है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरहरवा प्रखण्ड के दिघी चौक से बरहरवा, श्रीकुण्ड, कोटालपोखर होते हुए पाकुड़ सीमाना तक पथ निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक कराने तथा कार्य में अनियमित्ता के दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	वर्त्तमान में यह पथ Defect Liability Period अन्तर्गत है । इस अवधि में निर्मित पथ के क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में संवेदक को अपने लागत पर इसकी मरम्मति करना है । क्षतिग्रस्त पथांशों की मरम्मति संवेदक द्वारा की जा रही है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–05 / 2018 450(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 25 दिनांक 05.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/1/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–05 / 2018 450(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/1/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(243)

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–02 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि खरसावां के बानरासाई आदिवासी टोला (जोजोडीह पंचायत) में निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति योजना विगत 4 वर्षों से बंद है;	वस्तु स्थिति यह है कि योजना का संचालन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा किया जाता है। विद्युत संयोजन एवं मरम्मति के अभाव में योजना बंद था जिसे ठीक करवाकर जलापूर्ति चालू करा दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के पूर्ण होने के उपरांत मात्र एक माह तक ही ग्रामीणों को जलापूर्ति का लाभ मिला था;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति योजना में गुणवत्ता को ताक में रखकर संवेदक को निर्माण से संबंधित राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है;	सम्पादित कार्य के अनुरूप ही संवेदक को भुगतान किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवेदक पर कार्रवाई करते हुए उपर वर्णित ग्रामीण जलापूर्ति योजना को फिर से शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–52/2017– 371 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 21 दिनांक– 05.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–52/2017– 371 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव
23/1/18

माo. सoविoसo. श्री साईमन मराण्डी 244 द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संo पथ–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पoनिoविo उत्तर
क्या मंत्री, पoनिoविo, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला अन्तर्गत प्रखण्ड हिरणपुर के रानिपुर से पोचयबेड़ा रोड पथ निर्माण विभाग से वर्ष 2010 में शुरू की गई थी ;	अस्वीकारात्मक । विषयांकित योजना दिनांक 08.10.2014 को स्वीकृत की गयी है ।
2. क्या यह बात सही है कि यह सड़क पाकुड़ लीट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ अमड़ापाड़ा रोड को जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि कार्य अवधि समाप्त होने के बाद भी ग्राम रानिपुर, डागापाड़ा, ताल पहाड़ी, जामपुर में कार्य अधूरा है ;	पथ की कुल लम्बाई 21.80 किoमीo में से 20.08 किoमीo पथ का कालीकरण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । शेष पथांश में कार्य प्रगति पर है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधूरे कार्य को पूर्ण कर संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	कार्य में हुए विलम्ब के लिए संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा की शर्त्तों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–22/2018 449(5) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 567 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–22/2018 449(5) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय विधायक श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० पेय 27 का उत्तर।

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्रप्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह तथा चन्द्रपुरा प्रखण्ड में मिनी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत कुल 20 पाईप लाईन मिनी जलापूर्ति का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्मित जलापूर्ति में से क्रमशः भलमारा के असनाटाँड़, **पोटसो** के पोटसो हरिजन **टोला, बंदियों के** फतेहपुर लाहरबेड़ा, परसबनी के दहियारी अंश एवं बिरनी के बिरनी जो वर्ष 2015 से बंद पड़ा हुआ है;	बिरनी का बिरनी लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं भालमारा के असनाटाँड़ लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना वर्तमान में चालू है परन्तु भालमारा को डिस्चार्ज कम होने की वजह से जलापूर्ति आंशिक रूप से की जाती है। पोटसो पंचायत के पोटसो हरिजन टोला लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना/फतेहपुर, लाहरबेड़ा एवं परसबनी के दहियारी अंश लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्तमान में बंद है। योजनाओं को चालू करने के लिए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् जिला के DMFT/DDMA में उपलब्ध निधि से राशि की माँग की गयी है। उक्त तीनों ग्रामों एवं टोलों में ड्रिल्ड नलकूपों राष्ट्रीय मानक के अनुसार पूर्ण आच्छादित है, जो निम्न है:–
3	क्या यह बात सही है कि बंद पड़े जलापूर्ति से आम–जनता में घोर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है;	खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित बंद पड़े पाईप लाईन मिनी जलापूर्ति को शीघ्रता से चालु करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(खण्ड–2 के उत्तर में तालिका:)

क्रम	पंचायत	ग्राम	आबादी	कुल नलकूप	चालु नलकूप
1	पोटसो	पोटसो	2865	34	31
2	बंदिया	फतेहपुर, लाहरबेड़ा	1439	40	36
3	परसबनी	दहियारी अंश	2190	35	33

जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार पर्याप्त नलकूप है।

क्र. पृ. उ.

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि.स. (ता.)–05/2018 (पेय.) – 104/SWSM दिनांक 23-1-18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं.–452, दिनांक–15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 23/1/18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि.स. (ता.)–08/2018 (पेय.) – 104/SWSM दिनांक 23-1-18

प्रतिलिपि: उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 23/1/18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(247)

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–16 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि जिला–हजारीबाग, प्रखण्ड–बरकट्ठा, के तीन पंचायत–बरकनगांगो, चुगलामो एवं गैंडा के ग्रामीणों को ग्रामीण पेयजल योजना के तहत् पेयजल उपलब्ध नहीं है;</td><td>पंचायत–बरकनगांगो, चुगलामो एवं गैंडा में नलकूप एवं सोलर आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वारा जलापूर्ति कर जा रही है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>पंचायत</th><th>2011 के अनुसार जनसंख्या</th><th>विभागीय मापदण्ड के अनुसार नलकूपों की आवश्यकता</th><th>अधिष्ठापित नलकूपों की संख्या</th><th>सोलर आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बरकनगांगो</td><td>6739</td><td>44</td><td>85</td><td>02</td></tr>
<tr><td>2</td><td>चुगलामो</td><td>6749</td><td>45</td><td>91</td><td>01</td></tr>
<tr><td>3</td><td>गैंडा</td><td>7227</td><td>48</td><td>89</td><td>01</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि जिला–हजारीबाग, प्रखण्ड–बरकट्ठा, छुतहरी कटीया, बरकनगांगो बराकर नदी से ग्रामीण जलापूर्ति योजना D.P.R. तैयार है;</td><td>स्वीकारात्मक।
DPR पर तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत् पेयजल पंचायत–बरकनगांगो, चगलामों एवं गौंडा में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>भविष्य में संसाधन की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर योजना निर्माण पर विचार किया जायेगा।</td></tr>
</table>

(248)

माo, सoविoसo, डॉo इरफान अंसारी द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संo पथ–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पoनिoविo उत्तर
क्या मंत्री, पoनिoविo, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि N.H-419 रूपनारायणपुर से बजड़ा घाट का निर्माण कार्य रूपनारायणपुर से जामताड़ा (19 किoमीo) एचoएचo मापदण्ड के तहत मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जा चुका है परन्तु शेष भाग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण नहीं होने से भारी वाहनों का आने–जाने में भारी कठिनाई हो रही है एवं धनबाद की दूरी कम होने का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है ; 2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष भाग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या NH-419 रूपनारायणपुर–जामताड़ा–बजड़ा घाट – पोखरिया पथांश आवागमन योग्य है। उपर्युक्त पथ के चौड़ीकरण योजना का डीoपीoआरo निर्माण प्रक्रियान्तर्गत है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–04 / 2018 448(5) राँची / दिनांक : 20/01/18
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 26 दिनांक 05.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–04 / 2018 448(5) राँची / दिनांक : 20/01/18
प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(249)

श्री हरिकृष्ण सिंह, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–28 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि मनिका विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लातेहार जिला के गारू प्रखण्ड मुख्यालय में पेयजल की काफी किल्लत है। गर्मी के दिनों में यह समस्या विकराल हो जाती है;	वस्तुस्थिति यह है कि गारू प्रखण्ड मुख्यालय धागंरटोला पंचायत के अधीन है। धागंरटोला सम्पूर्ण पंचायत में 11 (ग्यारह) ग्राम है जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 6136 है। उपलब्ध जनसंख्या के लिए विभाग से 125 नलकूप लगाये गए है तथा 01 (एक) डीजल चालित पुरानी पाईप जलापूर्ति योजना 1978 से है जिससे प्रखण्ड मुख्यालय आच्छादित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गारू प्रखण्ड मुख्यालय में जल मिनार का निर्माण कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जलस्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर गारू प्रखण्ड मुख्यालय में जलापूर्ति योजना का निर्माण किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–72/2017– 348 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 460 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–72/2017– 348 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव
23/01/18

252

ता0, स0वि0स0, श्री रामकुमार पाहन द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत हजारीबाग रोड ईरबा से गोन्दली पोखर पुरूलिया रोड तक बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण में ग्राम साल्हन, बेड़वारी, हुटूप आदि गांव के रैयतों को सड़क निर्माण में अधिगृहित भूमि का मुआवजा अबतक नहीं मिला है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में अधिगृहित भूमि का मुआवजा यथाशीघ्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	सड़क निर्माण में आवश्यक भूमि के अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन कार्यालय को अधियाचना पथ प्रमण्डल, रांची द्वारा समर्पित की गई है । भू–अर्जन कार्यालय द्वारा S.I.A. की कार्रवाई की जा रही है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–07 / 2018 460(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 118 दिनांक 09.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–07 / 2018 460(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

253

माo, सoविoसo, श्री शशि भूषण सामाड़ द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संo पथ–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पoनिoविo उत्तर
क्या मंत्री, पoनिoविo, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले को राजधानी राँची से जोड़नेवाली सड़क एनoएचo–75 (ई) का निर्माण पाटिल कंस्ट्रक्शन द्वारा 8 सितम्बर 2010 को शुरू किया गया था ;	NH-75 E के किoमीo 60 से 116, कुल 55 किoमीo में 32 किoमीo पथांश एवं कुल 78 पुलिया में 40 पुलिया का निर्माण M/s Patil Construction Pune द्वारा पूर्ण है ।
2. क्या यह बात सही है कि पाटिल कंस्ट्रक्शन द्वारा एनoएचo–75 (ई) के टेबो घाटी इलाके की 35 किoमीo लंबी सड़क और 26 पुलिया सात साल में भी नहीं बन पाई है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	उपर्युक्त योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है ।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क निर्माण में लगे पाटिल कंस्ट्रक्शन ने बिना काम पुरा किये ही अपना प्लांट उठा लिया है ;	विषयांकित योजनान्तर्गत अधूरी सड़क एवं पुलिया निर्माण में संवेदक की शिथिलता एवं कार्य की धीमी प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को 13 दिसम्बर 2017 को प्रेषित है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कंस्ट्रक्शन कम्पनी पर कार्रवाई करते हुए अधूरी सड़क एवं पुलियों को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–28/2018 462(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 571 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–28/2018 462(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(254)

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 33 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखण्डाधीन अलगडीहा एंव खेतको पंचायत के गाँवों में पेयजलापूर्ति की गंभीर समस्या है;</td><td>गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखण्डाधीन अलगडीहा एंव खेतको पंचायत के गाँवों में पेयजल की आपूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>पंचायत</th><th>ग्राम/टोला</th><th>जनसंख्या</th><th>चालू नलकूपों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>खेतको</td><td>खेतको</td><td>6610</td><td>73</td></tr>
<tr><td>2.</td><td rowspan="3">अलगडीहा</td><td>अलगडीहा</td><td>3479</td><td>46</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>खरखरो</td><td>1723</td><td>13</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बालक</td><td>2652</td><td>15</td></tr>
</table>
इस प्रकार उक्त पंचायतों में जलापूर्ति की व्यवस्था निर्धारित मापदण्ड से अधिक है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित पंचायत के गाँवों में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के तहत योजनायें स्वीकृत नहीं की गई है;</td><td>स्थायी सतही जलस्त्रोत उपलब्ध नहीं रहने के कारण इन गाँवों में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना नहीं ली गई है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनायें स्वीकृत कर कार्यान्वयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>इन क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना के निर्माण के निमित्त सर्वे कराकर जलस्त्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–76/2017– 363 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 451 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–76/2017– 363 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

255

मा0, स0वि0स0, श्री ताला मराण्डी द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के अंतर्गत बोआरीजोर प्रखण्ड के छोटा सिमड़ा से बोआरीजोर होते हुए बोरियो और मिर्जाचौकी जाने वाला पथ में छोटा सिमड़ा और बसडीहा के बीच पथ का ई0सी0एल0 के पी0आई0टी0 एरिया में आने के कारण सड़क मार्ग पूर्णतः कट गया है, जिस कारण बोआरीजोर प्रखण्ड आने जाने के लिए लोगों को ई0सी0एल0 के वर्जित क्षेत्र से लाचारीबस आना–जाना पड़ता, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है ; 2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला मुख्यालय गोड्डा एवं अनुमंडल मुख्यालय महागामा प्रखण्ड मुख्यालय बोआरीजोर को जोड़ने वाले पथ को बहाल करने के लिए पी0डब्लू0डी0 सड़क डकैता से होते हुए जिरली गोराडीह भाया रामकोल, राजबाँध के पी0डब्लू0डी0 पथ तक एवं ललमटिया बसडीहा के लिए बाई पास सड़क का निर्माण कराना चाहेगी, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	इसकी संभाव्यता अध्ययन (Feasible Study) करा कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–16 / 2018 463(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 493 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–16 / 2018 463(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(256)

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–18 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के कुण्डहित प्रखण्ड अन्तर्गत पश्चिम बंगाल से सटे लगभग 1500 से ज्यादा आबादी वाला मुड़ाबेड़िया ग्राम है जहाँ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, जिसमें विशेषकर गर्मी में पेयजल संकट उत्पन्न होते रहता है;	जामताड़ा जिला के कुण्डहित प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम मुड़ाबेड़िया की कुल आबादी 2129 है। कुल चापाकल की संख्या – 15 है, जो विभागीय मापदण्ड के अनुसार अच्छादित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में शीघ्र ही पाईपलाईन से जलापूर्ति योजना का कार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	सतही जलश्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में योजना निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–67/2017– 350 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 466 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–67/2017– 350 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/01/18

(257)

मा0, स0वि0स0, श्री शिव शंकर उरांव द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला में कई ऐतिहासिक, पुरातत्विक–धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं ; 2. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे डुमरी प्रखंड में धार्मिक–पुरातत्विक टांगीनाथ धाम और सिरासिता नाले, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड में रूद्रपुर का शिवगुटरा धाम, रायडीह में बासुदेवकोना, हीरादाह, गुमला में आंजन धाम आदि को बड़े पैमाने पर पर्यटकों के लिए विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया था ; 3. क्या यह बात सही है कि डुमरी प्रखंड का टांगीनाथ धाम जाने वाला मार्ग (डुमरी–मडुआडांड मुख्य मार्ग) से मात्र पांच कि0मी0 पहुँच मार्ग अत्यंत जर्जर हालत में है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टांगीनाथ धाम पहुँच मार्ग को चौड़ीकरण के साथ दुरूस्त करते हुए जिला के सभी पर्यटक स्थलों तक सुगम पहुँच मार्ग बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व के पथों का रख–रखाव पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है । पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पथों सहित अन्य पथों को निधि की उपलब्धता के आधार पर विकसित किया जाता है । आगामी वर्षों में भी विभाग द्वारा इसी आधार पर कार्य किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–13 / 2018 465(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 226 दिनांक 11.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–13 / 2018 465(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(259)

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 41 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री चन्द प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड– काठीकुण्ड अन्तर्गत पंचायत– छावाडंगाल के ग्राम– तिन सुलिया एवं केन्दपहाड़ी तथा छोटा फूलझंझरी के ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में जलश्रोत कम होने के कारण पेयजल के लिए घोर संकट का सामना करना पड़ता है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड– काठीकुण्ड, पंचायत– छावाडंगाल के ग्राम– तिनसुलिया एवं छोटा फूलझंझरी तथा पंचायत– झिकरा के ग्राम केन्दपहाड़ी ग्राम हेण्डपम्प की स्थिति निम्न प्रकार है :–
<table><tr><th>ग्राम</th><th>आबादी</th><th>चालू नलकूपों की संख्या</th></tr><tr><td>तिनसुलिया</td><td>555</td><td>06</td></tr><tr><td>छोटा फूलझंझरी</td><td>387</td><td>10</td></tr><tr><td>केन्दपहाड़ी</td><td>267</td><td>04</td></tr></table>इस प्रकार उक्त पंचायतों मे जलापूर्ति की व्यवस्था निर्धारित मापदण्ड से अधिक है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पंचायत एवं गांव में अबतक ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के तहत् जलापूर्ति शुरू नहीं किया गया है;</td><td>वर्तमान मे यहाँ पाईप जलापूर्ति योजना नही है। जलापूर्ति हेतु हेण्डपम्प की व्यवस्था है जिसे उपर्युक्त कंडिका–01 में स्पष्ट कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार काठीकुण्ड प्रखण्ड अन्तर्गत उपर्युक्त पंचायत एवं गाँवों में डीप बोरिंग कर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के तहत् चालू वित्तीय वर्ष में जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>सतही जलस्त्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण पर विचार किया जा सकता है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–81/2017– 366 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 625 दिनांक– 16.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–81/2017– 366 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/1/18

(260)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–24 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि गरबांध गाँव में पानी टंकी, जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आधे गाँव में पाईप लाईन नहीं बिछने के चलते वहाँ के जनता को घोर पीने का पानी का संकट का सामना करना पड़ता है;	गरबांध ग्रामीण जलापूर्ति वर्ष 2005–06 में निर्मित है। योजना की कुल क्षमता 1.1 MLD है, जिससे 13670 आबादी को आच्छादित होगी। वर्ष 2011 के अनुसार गरबांध की कुल आबादी 6154 है। गरबांध में कुल चार टोले हैं, चारो टोलों में पाईप बिछाया गया है। जलमीनार के निकट ग्रामीणों द्वारा अवैध गृह–संयोजन करने के कारण Water Loss हो रही है, फलस्वरूप मात्र उरांव टोला में पेयजलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि अन्य तीन टोलों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। अवैध गृह–संयोजन हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद उरांव टोला में नियमित पेयजलापूर्ति की जा सकेगी। 2) इसके अतिरिक्त गरबांध ग्राम में कुल 25 अदद् ड्रील्ड नलकूप एवं 10 अदद् उच्च प्रवाही नलकूप निर्मित है जो 150 व्यक्ति / नलकूप के दर से 5250 आबादी के लिए पर्याप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पानी टंकी से पाईप लाईन बिछाकर पूरे गाँव के सभी टोला को पानी देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–71/2017– 347 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 467 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–71/2017– 349 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/1/18

261

श्री आलोक कुमार चौरसिया , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.01.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–पथ–13 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के चैनपुर प्रखण्ड के ग्राम नेऊरा मुख्य पथ से सैमरा, सलतुआ, करसो होते मतौली रंका तक पथों की स्थिति अत्यन्त खराब रहने के कारण पथों से गुजरने वाले कई गाँवों के लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के पथ एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती है तथा छत्तीसगढ़ आने जाने में लोगों को काफी सहूलियत मिलती है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में आवाम के कठिनाईयों को देखते हुए उपरोक्त सड़कों का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अगले वित्तीय वर्ष में मा०स०वि०स० से विषयांकित पथों की अनुशंसा प्राप्त होने पर तदनुसार विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–54 / 2018 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०).....280.....राँची, दिनांक 23-01-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–228 दिनांक–11.01.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/01/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–54 / 2018 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०).....280.....राँची, दिनांक 23-01-18

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23/01/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–54 / 2018 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०).....280.....राँची, दिनांक 23-01-18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23/01/18

सरकार के उप सचिव।

262

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक–24.01.2018 को श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–परि.–01 का उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश सिंह भोगता माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री सी० पी० सिंह माननीय मंत्री, परिवहन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिले से दूसरे जिलों तथा राँची जाने के लिए बसों का कम परिचालन है;	–	राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन के पश्चात् वर्तमान में बसों का परिचालन निजी वाहन स्वामियों द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत चतरा से दुसरे जिलों एवं राँची जाने के लिए कुल 106 (एक सौ छः) बसों का परिचालन निजी वाहनस्वामियों द्वारा किया जा रहा है । प्रश्नगत मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा बसों के परिचालन हेतु परमिट के लिए आवेदन समर्पित करने पर नियमित रूप से परमिट दिया जा रहा है ।
2	क्या यह बात सही है कि बसों का परिचालन कम होने के कारण जनता को आवागमन में काफी दिक्कत होती है;	–	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा से राज्य परिवहन की बसें चलाने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	–	उपर्युक्त कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग ।

ज्ञापांक–परि०वि०(वि०स०)–05/2018 ....81........./राँची,दिनांक 19.01.2018

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक–481 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/1/18
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग ।

(264)

श्री मनोज कुमार यादव, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय०–45 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत पदमा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित जलापूर्ति योजना बंद हो जाने के कारण आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है;	पदमा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, पदमा का जल स्रोत सुख जाने के कारण वर्ष 2009–10 से बन्द है। वर्तमान में पदमा प्रखण्ड स्थित ग्राम–पदमा एवं ग्राम–लाठी की कुल आबादी लगभग 11000 है जिसके लिए कुल 73 अदद् नलकूपों एवं 02 अदद् सौर ऊर्जा आधारित योजना से जलापूर्ति की जा रही है, जो विभागीय मानक से अधिक है।
2. यदि उक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पदमा प्रखण्ड मुख्यालय स्थित आमजनों को नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए नये जलापूर्ति योजना का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सतही जलस्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में योजना निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–83/2017– 356 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 748 दिनांक– 17.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–83/2017– 356 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/1/18

265

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 22 का उत्तर :–

<table>
<tr><th colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</th><th>श्री चन्द प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड– गोड्डा, पथरगामा एवं बंसतराय में पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को पेयजल सुविधा हेतु 115 छोटे–छोटे जलमीनार सोलर संचालित अधिष्ठापित किये गये है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत 20000 तथा 4000 लीटर क्षमता का सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण निम्न तालिका के अनुसार किया गया है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रखण्ड</th><th colspan="2">योजनाओं की संख्या</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>20000 लीटर क्षमता</th><th>4000 लीटर क्षमता</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>गोड्डा</td><td>11</td><td>28</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पथरगामा</td><td>13</td><td>16</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बसंतराय</td><td>03</td><td>16</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 मे वर्णित ग्रामों में से 90 जलमीनार में किसी का माटर चोरी, किसी का सोलर लाईट चोरी, किसी का पाईप चोरी तो किसी का टंकी से पानी रिसाव होने के कारण बन्द पड़ा है;</td><td>कंडिका– 1 मे अंकित विवरणी के अनुसार 4000 लीटर क्षमता का सोलर आधारित सभी लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है।
20000 लीटर क्षमता का सोलर आधारित कतिपय लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ किसी कारणवश बंद है। उक्त योजनाओं को पुनः चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित ग्रामों में बन्द पड़े सोलरयुक्त जलमीनार से ग्रामीणों को पुनः जलापूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>कंडिका– 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–69/2017– 357 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 454 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–69/2017– 357 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय विधायक श्री आलमगीर आलम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० पेय 03 का उत्तर।

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–</td><td>श्री चंद्रप्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर:–</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष नये चापानल निर्माण तथा विशेष मरम्मति योजना के तहत खराब चापानल के स्थान पर नये चापानल का निर्माण कराया जाता है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि नए चापानलों का निर्माण सिद्धांततः सामान्य रूप से विगत 5 वर्षों से बन्द है, आवश्यकता आधारित मृतप्राय नलकूप के स्थान पर नए नलकूपों का पुर्नस्थापन कराया जाता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में नये चापानल का निर्माण एवं विशेष मरम्मति योजना के तहत खराब चापानल का निर्माण एवं विशेष मरम्मति योजना के तहत खराब चापानल के स्थान पर नये चापानल निर्माण की योजना नहीं है;</td><td>नए चापानलों के निर्माण के संबंध में कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। विशेष मरम्मति योजना के तहत खराब चापानल का निर्माण एवं विशेष मरम्मति योजना के तहत खराब चापानल के स्थान पर नये चापानल निर्माण की योजना (वित्तीय वर्ष 2017–18) में ब्यौरा निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रखण्ड का नाम</th><th>उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण की सं.</th><th>विशेष मरम्मति के तहत् निर्मित नलकूप की सं.</th><th>सड़े राईजर पाईपों को बदल कर चालू किये गये नलकूपों की सं.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>पाकुड़</td><td>23</td><td>77</td><td>403 अदद</td></tr>
<tr><td>2</td><td>साहेबगंज</td><td>17</td><td>106</td><td>700 अदद</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में नया चापानल का निर्माण एवं विशेष मरम्मति योजना के तहत खराब चापानल के स्थान पर नये चापानल निर्माण की योजना देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>खंड 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि.स. (ता.)–02/2018 (पेय.) – 80/SWSM दिनांक 18-1-18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं.–81, दिनांक–08.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 18/1/18

अवर सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि.स. (ता.)–02/2018 (पेय.) – 80/SWSM दिनांक 18-1-18

प्रतिलिपि: उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 18/1/18

अवर सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(267)

मा0, स0वि0स0, श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड शिकारीपाड़ा अंतर्गत चकलता से मलपाहाड़ी तक पथ निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड रानेश्वर अंतर्गत महेशबथान से चकलता पथ का निर्माण कार्य शुरू किया गया है तथा प्रखंड रानेश्वर अंतर्गत बाधनाल से महेशखला तक पथ निर्माण कार्य पुरा हो गया है ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथों के निर्माण कार्य में अधिग्रहण किये गये किसानों के कृषि भूमि का मुवावजा अबतक भुगतान नहीं किया गया है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुमका जिला के प्रखंड शिकारीपाड़ा एवं प्रखंड रानेश्वर के किसानों के अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भूगतान करनें का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	1. टोंगरा – बालकाण्डी – महेशभाटन – पुनर्निर्माण कार्य (रकबा–101.626 एकड़) 2. चकलाता – भालपहाडी (रघुनाथपुर–बरमसिया पथ पर) का पुनर्निर्माण कार्य में 69.4111 एकड़ भूमि के भू–अर्जन का प्रस्ताव भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित किया गया है जो प्रक्रियाधीन है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव विधिवत प्रक्रिया के तहत पूर्ण होने के पश्चात् किसानों/रैयतों के मुआवजा का भुगतान जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
<u>पथ निर्माण विभाग, राँची ।</u>

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–45/2018 466(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 633 दिनांक 16.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20/1/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–45/2018 466(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

20.1.18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री कुणाल षाड़ंगी , मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–05 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखण्ड के अनुसूचित जनजाति (ST) बहुल यथा ग्राम पंचायतों में बरडीकानपुर बड़ामारा कालीयाम, श्यामसुन्दरपुर चालूनिया आदि में ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाईप लाईन द्वारा) लागू नहीं होने के कारण प्रत्येक वर्ष भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है;</td><td>पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों यथा– बरडीकानपुर, बड़ामारा, कालीयाम, श्यामसुन्दरपुर एवं चालूनिया आदि में पेयजल की स्थिति निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>पंचायत</th><th>जनसंख्या 2011 के अनुसार</th><th>चालू कुल नलकूप</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बरडीकानपुर</td><td>6079</td><td>102</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बड़ामारा</td><td>5297</td><td>121</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कालीयाम</td><td>6094</td><td>95</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्यामसुन्दरपुर</td><td>5297</td><td>34
इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन पिताजुड़ी ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत श्यामसुन्दरपुर ग्राम के 2404 आबादी को पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>चालूनिया</td><td>5823</td><td>123</td></tr>
</table>
उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि प्रश्नगत ग्रामों में पेयजलापूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाईप लाईन) को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर कार्यारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>जलापूर्ति हेतु स्थायी श्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर वर्णित ग्रामों में पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/रा०प्र०– 01–53/2017– 367 रांची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 79 दिनांक– 08.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/रा०प्र०– 01–53/2017– 367 रांची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

(270)

मा0, स0वि0स0, श्री प्रकाश राम द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत लातेहार–रिचूघूटा–पेशरार पथ के पानो नदी पर पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त नदी पर पुल निर्माण हो जाने से लातेहार–लोहरदगा जिला के करीब 8–10 बड़े ग्राम आपस में जुड़ जायेगें ; 3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथ में पड़ने वाले सभी ग्राम यथा–पेशरार, बतात, मक्का, सीरम अनु0 जाति/अनु0ज0 जाति क्षेत्र तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत आते हैं ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ के पानो नदी पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	वर्णित पथ के पानों नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जा रहा है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–18/2018 467(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 566 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–18/2018 467(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

271

मा0, स0वि0स0, श्री अशोक कुमार द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराए जा रहे, दिग्धी–घोरीचक पथ में ग्राम–दिग्धी एवं दियाजोरी–डोय पथ में ग्राम–बेलबड्डा काफी धनी आबादी का गाँव है, जहाँ सड़क के किनारे छोटा बाजार भी है ; 2. क्या यह बात सही है कि गाँव के धनी आबादी से मुख्य सड़क हो जाने से आवागमन में काफी कठिनाई होने के साथ–साथ सड़क दुर्घटना की भी संभावना बनी रहेगी ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार NH पथ के तर्ज पर पथ निर्माण विभाग के उक्त वर्णित पथ में ग्राम दिग्धी एवं ग्राम बेलबड्डा में बायपास सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	प्रश्नगत पथों का संभाव्यता अध्ययन कराने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–02/2018 464(5) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 27 दिनांक 05.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–02/2018 464(5) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(272)

श्री फूलचन्द मंडल , माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.01.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–32 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत जी0टी0 रोड खरनी मोड़ से साधोबाद–विराजपुर–गोरगा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण अति आवश्यक है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के संकृण होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी असुविधा होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से विषयांकित पथ की अनुशंसा प्राप्त होने पर तद्नुसार विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–52 / 2018 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 281 राँची, दिनांक 23-01-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–579, दिनांक–15.01.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/01/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–52 / 2018 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 281 राँची, दिनांक 23-01-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23/01/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–52 / 2018 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 281 राँची, दिनांक 23-01-18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23/01/18

सरकार के उप सचिव।

(273)

माननीय विधायक श्री योगेश्वर महतो, स. वि. स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं. पेय. - 04 दिनांक 24.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न का उत्तर

क्र. सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा करोड़ो रूपये की लागत से दो या दो से अधिक पंचायत के लोगों को "मल्टी पंचायत ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना" का लाभ ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति, मुखिया एवं जल सहिया के संयुक्त दायित्व के संचालन की नीति के कारण ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है,	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पत्रांक 4003 दिनांक 20.09.2013 के द्वारा बहु पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्गत है। निर्गत पत्र में "मल्टी पंचायत ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना" का लाभ मुखिया एवं जल सहिया के संयुक्त दायित्व के संचालन की स्थिति स्पष्ट की गई है। पत्र में मार्ग दर्शन स्पष्ट है। (छायाप्रति संलग्न) इसका अध्ययन डास (DAS India) ENV Development Assistance System Pvt. Ltd. से कराया गया था। कई योजनाओं को अच्छा चलता प्रतिवेदित है। कतिपय में सतत् विद्युत आपूर्ति होने के कारण, उपभोक्ताओं द्वारा नियमित, सही भुगतान न होने के कारण संचालन मे समस्या का जिक्र है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भी राजस्व वसूली न होना एक समस्या है। प्रतिकिलो लीटर जलापूर्ति पर लगभग रू. 5 प्रतिदिन व्यय होता है। पाईप जलापूर्ति के हो रहे विस्तार के क्रम में 100% राज्य सम्पोषित संचालन संभव नहीं होगा। जन सहभागिता से संचालन सर्वथा सराहनीय प्रयास है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त जनोपयोगी योजना मुखिया एवं जल सहिया के आपसी मतभेद के कारण मृतप्राय है,	इस तरह की आपसी मतभेद की सूचना प्राप्त नहीं है। यदि इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होगी तो विभाग द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जन सहभागिता से पेयजल जलापूर्ति की स्थिति अच्छी है। इसे मजबूत करना आवश्यक है। प्रशिक्षण इत्यादि कार्य देकर PRI/ VWSCs इन संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मुखिया एवं जल सहिया के दायित्व को खत्म कर पेयजल स्वच्छता विभाग या किसी NGO के माध्यम से संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 4003 दिनांक 20.09.2013 स्पष्ट है। क्र.सं. 2 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/ वि.स. (तारा.) – 03/2018 (पेय.) – 81/SWSM – दिनांक 18-1-18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक सं. 77, वि.स. दिनांक 08.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/ वि.स. (तारा.) – 03/2018 (पेय.) – 81/SWSM दिनांक 18-1-18

प्रतिलिपि: अवर सचिव (प्र. - 5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(274)

मानननीया श्रीमती विमला प्रधान, स. वि. स. द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. पेय–20 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश चापानल खराब हैं और इसके कारण आम जनता को पेयजल के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,	सिमडेगा जिला अंतर्गत सिमडेगा विधान–सभाक्षेत्र में कुल 4493 अदद चापानल अधिष्ठापित है। चापानल में छोटे–छोटे कलपूर्जे होते हैं, जो साधारणतः खराब होती रहती है। मरम्मति का कार्य सतत प्रक्रिया है, जिसे विभाग द्वारा समय–समय पर निविदा प्रक्रिया द्वारा मरम्मति का कार्य किया जाता है और जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है विभाग में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अविलम्ब कार्रवाई कर तीन दिनों में मरम्मति करा दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा विगत वर्ष 15–16, 16–17 एवं 17–18 में चापानल मरम्मति हेतु टेंडर किया गया है, परंतु इसके बावजूद अधिकांश चापानल खराब हैं,	वस्तुतः सिमडेगा प्रमंडल अंतर्गत विगत वर्ष 15–16, 16–17 एवं 17–18 में चापाकल मरम्मति हेतु निविदा किया गया, तदुपरांत क्रमशः 2544 अदद, 1870 अदद एवं 3190 अदद नलकूपों का साधारण मरम्मति कराकर चालू कर दी गयी है। बंद चापानलों को साधारण मरम्मति करा कर चालू करना यह निरंतर प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चापानलों की मरम्मति करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?	खंड 1 एवं खंड 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/वि. स. (ता.)–06/2018 पेय. -106/SWSM दिनांक 23-1-18
प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 449 वि. स. दिनांक 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि. स. (ता.)–06/2018 पेय. 106/SWSM दिनांक 23-1-18
प्रतिलिपि–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र. – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री लक्ष्मण टुडू, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 29 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत घाटशिला विधान–सभा क्षेत्र के घाटशिला में जलापूर्ति योजना के तहत् पाईप लाईन बिछाने का कार्य वर्ष 2005–06 में प्रारंभ किया गया था;</td><td>स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत घाटशिला विधान–सभा क्षेत्र में घाटशिला ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण वर्ष 2005–06 में किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि घाटशिला जलापूर्ति योजना रेलवे लाईन के दक्षिण दिशा में जलापूर्ति कार्य जून, 2009 में चालू हो गयी है, परन्तु रेलवे लाईन के उत्तर दिशा के मुहल्लों में एस0ई0 रेलवे खड़गपुर द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन पाईप को क्रॉस करने हेतु एन0ओ0सी0 नहीं दिये जाने के कारण कार्य लंबित है;</td><td>घाटशिला जलापूर्ति योजना अन्तर्गत रेलवे लाईन के दक्षिण दिशा में जलापूर्ति कार्य जून, 2009 से चालू अवस्था में है। एस0ई0 रेलवे, खड़गपुर द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन को क्रॉस करने हेतु एन0ओ0सी0 विलम्ब से मिलने के कारण एजेन्सी द्वारा कार्य नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि एस0ई0 रेलवे द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन पाईप को क्रॉस करने हेतु एन0ओ0सी0 दे दिया गया है एवं रेलवे लाईन के नीचे से Horizontal Directional Drilling Method (HDD) द्वारा पार कराने का निर्देश दिया है। उक्त कार्य के लिए कुल राशि 4,62,262 रूपये डिमांड ड्राफ्ट रेलवे मैनेजर, खड़गपुर को दिनांक– 22.09.10 को विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। परन्तु आज 8 वर्षों के बाद भी घाटशिला रेलवे लाईन के उत्तर दिशा में जलापूर्ति कार्य नहीं किया गया है जिससे लोगों को पेयजल के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;</td><td>एस0ई0 रेलवे, खड़गपुर द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन को क्रॉस करने हेतु पत्र संख्या– W/EST/Way Leave/WEST/DW&S Deptt. Jharkhand Kharagpur, dated- 29.10.2010 द्वारा एन0ओ0सी0 दे दिया गया है। रेलवे लाईन के उत्तर दिशा के लालडीह, धर्मबहाल, कटिंगपाड़ा (गोपालपुर) तथा घाटशिला प्रखण्ड के परिसर, घाटशिला कॉलेज जे0सी0 उच्च विद्यालय, जिला व्यवहार न्यायालय, आदि क्षेत्र में एक अदद् आर0सी0सी0 सम्प एवं 15–18 मीटर उचाई की जलमीनार का निर्माण कर जलापूर्ति व्यवस्था करने हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। वर्त्तमान में उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>पंचायत</th><th>ग्राम/टोला</th><th>जनसंख्या</th><th>चालू नलकूपों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td rowspan="2">धर्मबहाल</td><td>धर्मबहाल/ लालडीह</td><td>4212</td><td>48</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>गोपालपुर/ कटिंगपाड़ा</td><td>2671</td><td>09</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में जलापूर्ति योजना कार्य चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>घाटशिला ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्ष 2005–06 में निर्मित है। वर्तमान में 12 वर्षों के उपरान्त योजना के अवयव पुराने हो चुके है तथा उक्त क्षेत्रों की जनसंख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। फलस्वरूप पुराने अवयवों से नए क्षेत्रों में जलापूर्ति करना संभव नहीं है। अतिरिक्त Raw एवं Clear water pump तथा उक्त क्षेत्रों में ESR एवं Sump का निर्माण कर जलापूर्ति किया जायेगा।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–73/2017– 370 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 459 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–73/2017– 370 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

(277)

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक- 24.01.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या- भ0-3

का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006-07 में नगर उंटारी में कारा का निर्माण प्रारम्भ किया गया था, जो अभी तक अधूरा पड़ा है:	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि कारा निर्माण कार्य अधूरा रहने के चलते नगर उंटारी में सिविल कोर्ट का कार्य बाधित है:	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कारा भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गढ़वा के पत्रांक-628अनु0 दिनांक-27.07.2016 द्वारा नगर उँटारी, उपकारा निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर कारा महानिरीक्षक, गृह(कारा) विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया था, तदुपरांत कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक पत्रांक-3768 दिनांक-28.11.2016 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराया गया था। गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-332 दिनांक -18.01.18 द्वारा प्रतिवेदित है कि दिनांक -29.12.2017 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में उक्त योजना के पुनरीक्षित प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है, तदनुसार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। गृह विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निविदा के माध्यम से कार्य संपन्न कराया जायेगा, जो कि 15 (पन्द्रह) माह की अवधि में पूर्ण होगा।

(हस्ताक्षर) 20/1/2018

उप सचिव,

भवन निर्माण विभाग,

झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार,

भवन निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः-भ0-3-विधायी (ता0प्र0)-06/18..161(अ)..   राँची, दिनांकः-.20-1-18

प्रतिलिपिः- श्री शरद सहाय, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक-447 दिनांक-15.01.2018 के संदर्भ में (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/1/2018

उप सचिव,

भवन निर्माण विभाग

(279)

श्रीमती जोबा मांझी, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–42 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खुँटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में मौजा कोटसोना (टोला मुण्डासाई) में पेयजल का घोर अभाव है;	वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खुँटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में मौजा कोटसोना, टोला मुण्डासाई की कुल जनसंख्या 500 है, जिसके लिए कुल 06 अदद नलकूप से जलापूर्ति की जा रही है जो विभागीय मानक से ज्यादा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बुनियादी सुविधा के नहीं होने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में पेयजल हेतु डीप बोरिंग कर जलापूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सतही जलश्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में योजना निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–80/2017– 354 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 687 दिनांक– 16.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–80/2017– 354 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/01/18

माo, साoविoसo, श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संo पथ–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पoनिoविo उत्तर
क्या मंत्री, पoनिoविo, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत 10 वर्ष पूर्व निर्मित हाहे से राहे सड़क पर गुंगा नाला पर पुल का निर्माण नहीं किया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के गुंगा नाला में पुल का निर्माण नहीं होने कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क के गुंगा नाला पर पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018–19 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	विषयांकित पथ का डीoपीoआरo तैयार किया गया है । यह भारत सरकार के RCP LWE (Road Connectivity Project Left Wing Extremist) Affected Areas अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–06 / 2018 461(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 28 दिनांक 05.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–06 / 2018 461(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
20.1.18

281

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक–24.01.2018 को श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–परि.–02 का उत्तर सामग्री:–

	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री सी० पी० सिंह माननीय मंत्री, परिवहन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत सी०सी०एल० पिपरवार तथा आम्रपाली एवं मगध से कोयला ढोने वाली भारी वाहन टण्डवा, बड़कागाँव, हजारीबाग होते हुए बरकाकाना जाती है;	–	आंशिक सत्य है चूंकि सी०सी०एल० पिपरवार तथा आम्रपाली एवं मगध से कोयले की ढुलाई हजारीबाग के कटकमसांडी एवं कटकमदाग में रेलयार्ड पर की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि टण्डवा, हजारीबाग भाया बड़कागाँव पथ के दोनों ओर सघन आबादी तथा कई छोटे बड़े स्कूल है;	–	आंशिक सत्य है कि चूंकि टंडवा, हजारीबाग भाया बड़कागाँव पथ पर अधिकांश क्षेत्र जंगल, विरल आबादी अवस्थित है।
3	क्या यह बात सही है कि कोयला ढोने वाले इन भारी वाहनों से हर माह दो से चार लोगों की मृत्यू सड़क दुर्घटना में होती है एवं कोयला ढोने वाली भारी वाहन नो इन्ट्री एवं ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करती है;	–	उक्त पथ पर विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन होता है, अतः सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। जिन्हें दूर करने हेतु पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग के सम्मिलित प्रयासों से उक्त सड़क पर गति अवरोध का निर्माण कराया गया है जिससे दुर्घटना में होने वाली जान माल की क्षति को कम किया जा सके। भारी वाहनों का परिचालन यातायात नियमों के अनुरूप कराया जाता है तथा समय–समय पर सघन अभियान चलाकर परिवहन विभाग द्वारा ओवर लोडिंग की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त MV Act अन्तर्गत प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाता है। नियमों के प्रतिकूल परिचालन करने वाले वाहनों से MV Act के अन्तर्गत जुर्माना वसूला जाता है इस अभियान में यातायात थाना हजारीबाग भी सम्मिलित रहते है। उदाहरणार्थ माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2017 में क्रमशः 3,07,820/–, 12,02,450/– तथा 30,24,000/– रूपये जुर्माना वसूल की गयी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोयला ढोने के लिए टण्डवा से कोई वैकल्पिक सड़क बनाकर मुख्य मार्ग से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	–	उपरोक्त खण्डो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह० ...।।8

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग ।

(182)

ज्ञापांक–परि०वि०(वि०रा०)–06/2018 ....817..../राँची,दिनांक 23.01.2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक–553 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 23/1/18

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग ।

283

श्री साईमन मरांडी, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 35 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला अन्तर्गत लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड आदिवासी बाहुल्य प्रखण्ड है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड लिट्टीपाड़ा में 2018 करोड़ रूपये बहु जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा करीब आठ महीना पहले किया गया था;	प्रखण्ड के लिट्टीपाड़ा लिट्टीपाड़ा बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति राशि 217.51060 करोड़ है जिसका शिलान्यास दिनांक–20.04.2017 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के द्वारा की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि इतने दिनों के पश्चात् भी यह योजना का काम शुरू नहीं हो पाया है;	संबंधित विभाग द्वारा विधिवत् जमीन हस्तान्तरण की प्रत्याशा में चिन्हित कराये गए स्थल लिट्टीपाड़ा उच्च विद्यालय में स्टाफ क्वाटर का निर्माण कार्य एवं सूरजबेड़ा में जी0एस0आर0 निर्माण कार्य किया जा रहा तथा योजना निर्माण हेतु शेष अवयवों का सर्वे कर डिजाईन ड्राईंग का कार्य किया जा रहा है। शेष अवयवों के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग को अधियाचना पत्र भेजी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार काम में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–78/2017– 365 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 560 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–78/2017– 365 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

(284)

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–न०–02 का उत्तर:–

क्रम	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश संख्या–1 / स्था० / मु०स्था० / 101 / 2005–97 दिनांक–20.07.2010 द्वारा संविदा के आधार पर पाँच वर्षों के लिए देवघर नगर निगम में सहायक अभियंता (श्री समीर कुमार सिन्हा) तथा कनीय अभियंता (श्री मुकुल कुमार) को नियुक्त किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सहायक अभियंता पर अपने कार्यकाल के दौरान ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तथा कनीय अभियंता को भी अपने कार्यकाल के दौरान ही तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम के आदेश ज्ञापांक–240 दिनांक–24.01.2012 के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था;	स्वीकारात्मक। पुलिस अधीक्षक, देवघर के पत्रांक–455 दिनांक–03.03.2017 द्वारा श्री समीर कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता के विरूद्ध देवघर नगर थाना कांड सं०–641 / 15 में अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध किया गया, जिसपर विधि विभाग के आदेश संख्या–66 दिनांक–22.12.2017 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई एवं इसका संसूचन विभागीय पत्रांक–150 दिनांक–09.01.2018 द्वारा पुलिस अधीक्षक, देवघर को दे दी गई है। श्री मुकुल कुमार, कनीय अभियंता की बर्खास्तगी संबंधी देवघर नगर निगम के आदेश ज्ञाप० सं०–240 दिनांक–24.01.2012 को समीक्षोपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–4268 दिनांक–24.10.2013 के द्वारा अमान्य करार दिया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित इन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात खण्ड–1 में वर्णित सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता अवधि विस्तार के आधार पर आज दिनांक–05.01.2018 तक अपने कार्य पर बने हुए हैं, जो नियम विरूद्ध है;	स्वीकारात्मक। श्री समीर कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता एवं श्री मुकुल कुमार, कनीय अभियंता की संविदा आधारित सेवा वर्ष 2015 में समाप्त हो चुकी है एवं विभाग स्तर से इनकी अवधि विस्तार नहीं की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में हुए नियम विरूद्ध कार्य पर अविलंब कार्रवाई की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–453 दिनांक–20.01.2018 के द्वारा नगर आयुक्त देवघर नगर निगम से स्पष्टीकरण की माँग की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–01 / वि०मं०प्र०–01 / 2018 न०वि०आ० 485 राँची, दिनांक 23/01/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–121 / वि०स० दिनांक–09.01.2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/01/18
सरकार के अवर सचिव।

Sunanda/E/Vidhan Sabha-Answer-43

(286)

प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–30 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के महेशपुर विधान–सभा क्षेत्र में अवस्थित कुल जलमीनारों में से बहुतो जलमीनार बंद पड़े है;	वस्तुस्थिति यह है कि पाकुड़ जिले के महेशपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 17 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना है। जिसमें 11 अदद् योजना (पूर्ण/आंशिक) रूप से चालू, 03 अदद् निर्माणाधीन तथा 03 अदद् योजना विभिन्न कारणों से बन्द है। इसके अतिरिक्त महेशुपर प्रखण्ड में कुल 2,08,091 की आबादी हेतु 2543 अदद् एवं पाकुड़िया प्रखण्ड की 1,08,588 आबादी के लिए 1346 अदद् चालू नलकूप है जिससे जलापूर्ति की जाती है। इन सबों के अतिरिक्त सतही जलस्रोत आधारित महेशपुर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माणाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि पूर्ण किये गये जलमीनार भी कई कारणों से कार्यरत नहीं है, जिससे आम जनता को काफी कठिनाई होती है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महेशपुर विधान–सभा क्षेत्र में पड़ने वाले कुल पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रक्रियाधीन जलमीनारों की संख्या बतलाते हुए सभी जलमीनारों को चालू करवाने का विचार करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से चालू 3 अदद् निर्माणाधीन एवं 3 अदद् विभिन्न कारणों से बन्द लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना को एक माह में चालू करा दी जाएगी। निर्माणाधीन महेशपुर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पूर्ण होने कि सम्भावित तिथि 07.12.2018 है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–75/2017– 347 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 457 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–75/2017– 347 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/01/18

(288)

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 34 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखण्ड के औरा एवं पोखरिया पंचायताधीन ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट व्याप्त है;	गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखण्ड के औरा एवं पोखरिया पंचायत के गाँवों में पेयजल की आपूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :– (see table below)

क्र०	पंचायत	ग्राम/टोला	जनसंख्या	चालू चापाकलों की संख्या	अभियुक्ति
1.	औरा	औरा	3936	36	
2		दामा	6142	23	1 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति चालू
3.		पथलडीहा	1611	20	
4.		घुटिबार	908	12	
5.	पोखरिया	पोखरिया	3123	22	
6.		तारानारी	1524	18	
7.		पोचरी	2100	08	1 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति चालू

इस प्रकार उक्त पंचायतों में जलापूर्ति की व्यवस्था निर्धारित मापदण्ड से अधिक है।

वर्णित पंचायतों में पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादन करने हेतु औरा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का डी०पी०आर० रूपये 11,01,12,000/– का तकनीकी स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त है, जिसके तहत् पंचायत औरा के ग्राम औरा, दामा, पथलडीहा, घुटीबार, पंचायत अलगडीहा ग्राम खरखरा एवं पंचायत पोखरिया ग्राम पोचरी लाभान्वित होंगे।

2. क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित पंचायतों के किसी भी गाँव को ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के दायरे में नहीं लाई गई है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट के मद्देनजर ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनायें प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–77/2017– 364 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 458 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–77/2017– 364 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

(289)

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–15 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में निवास करने वाली आदिम जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति बेहद खराब है;	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिले में आदिम जनजाति परिवारों में शुद्ध पेयजल के अभाव से कुपोषण का शिकार है;	जामताड़ा जिला में आदिम जनजाति बहुल गावों की कुल संख्या–73 है। जिसकी कुल आबादी 1461 है एवं कुल नलकूपों की संख्या–112 है। जो विभागीय माप दण्ड के अनुसार अच्छादित है। शुद्ध पेयजल के अभाव में कुपोषण से शिकार संबंधी सूचना प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जिले में आदिम जनजाति परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए आ०ज०जा० के बीच बहुल गाँव–टोलों में पाईप लाईन से शुद्ध पेयजल पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	आदिम जनजाति के परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, अतः इन क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–65/2017– 361 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 462 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–65/2017– 361 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव
23/1/18

290

माo, सoविoसo. श्री योगेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संo पथ–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पoनिoविo उत्तर
क्या मंत्री, पoनिoविo, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखण्ड के ललपनिया चौक से जगेश्वर–हिरक पथ लगभग 28–किoमीo है, जो 2–जिलों रामगढ़ एवं बोकारो को जोड़ता है अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है जो वर्त्तमान में काफी जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है ; 2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पत्रांक अoसoपoसंo–3901048, दिनांक 17.12.15 द्वारा पथ के निर्माण संबंधी कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पत्र निर्गत किया गया है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण जनहित में इसी वित्तीय वर्ष–2017–18 में पथ निर्माण विभाग से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ स्वीकृति की प्रक्रियान्तर्गत है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–21/2018 459(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 491 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–21/2018 459(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(291)

मा0, स0वि0स0, श्री योगेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया विष्णुगढ़ पी0डब्लू0डी0 रोड गझण्डी मोड़ के सामने से हुरलुंग ग्राम के सीमान्त पुल तक भायाबासोबार मोड़, कर्री, करमो, चेलियाटाँड़, कढ़मा, तिस्कोपी, चतरोचट्टी, छोटकी सीधाबारा, चिपरी होते हुए लगभग 32–कि0मी0 सड़क, 02–जिलों, प्रखण्ड मुख्यालय गोमिया, अनुमण्डल कार्यालय तेनुघाट, सिविल कोर्ट तेनुघाट, विष्णुगढ़ प्रखण्ड मुख्यालय एवं हजारीबाग जिला मुख्यालय को जोड़ती है, जो अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरता है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य आर0ई0ओ0 विभाग द्वारा किया गया था जो काफी जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है ; 3. क्या यह बात सही है कि पत्रांक–अ0स0प0सं0–3900108 दिनांक–28.01.2016 द्वारा उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर निर्माण कार्य करने की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–25 / 2018 451(J) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 488 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–25 / 2018 451(5) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(292)

श्री चम्पाई सोरेन, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 31 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत बुरुडीह पंचायत सुवर्णरेखा नदी किनारे बसा है तथा घनी आबादी वाला आदिवासी बहुल क्षेत्र है;	वस्तुस्थिति यह है कि सरायकेला–खरसावाँ जिले के गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा पंचायत बुरुडीह आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसकी आबादी 5386 है। इस आबादी को वर्तमान में 131 अदद् चापानलों से जलापूर्ति की जा रही है जो निर्धारित मापदण्ड से अधिक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित पंचायत क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बुरूडीह पंचायत क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल हेतु सुवर्णरेखा नदी से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इन क्षेत्रों में आवासित आबादी को स्वर्णरेखा नदी से पाईप द्वारा जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु जलस्त्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–74/2017– 351 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 456 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–74/2017– 351 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।
23/1/18

(293)

श्री राज सिन्हा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–24.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–03 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में नगरपालिका अधिनियम के तहत् सभी घरों, बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग विनियम, 2017 में बहुमंजिली इमारतों के अतिरिक्त 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले संरचनाओं पर ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अधिष्ठापन अनिवार्य है।
2.	क्या यह बात सही है कि निजी इमारतों, घरों के अलावा सभी सरकारी–गैर सरकारी भवनों कार्यालयों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन राँची नगर निगम क्षेत्र में नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में अवस्थित निजी, सरकारी, गैर–सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संरचना स्थापित नहीं होने पर 1.5 गुणा धृति कर वसूला जाता है। राँची नगर निगम द्वारा आमजनों की सुविधा के लिए 13 रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके द्वारा अबतक 297 संरचनाओं का निर्माण किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस दिशा में जाँच करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भवन मालिकों द्वारा सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु स्वकर निर्धारण प्रपत्र समर्पित किया गया है जिसकी जांच स्थानीय निकाय स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में वर्षा जल संरक्षण अधिष्ठापन की भी जांच की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–8 / तारा० / 102 / 2018 / न०वि०आ० 449   राँची, दिनांकः 20/01/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–222, दिनांक–11.01.2018 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/01/18
सरकार के उप सचिव।

(294)

मा0, स0वि0स0, श्री साधु चरण महतो द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला अन्तर्गत गुजरने वाली (a) एन0एच0–32 पथ पर चाण्डिल बाजार में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है साथ ही एन0एच0–33 मुखिया होटल से चाण्डिल डैम रोड होते हुए चाण्डिल बाजार तक सड़क काफी जर्जर है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आम लोगों के आवागमन में असुविधा के साथ–साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पा रहा है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त दोनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	NH-32 अदारडीह–घोड़ालिंग 20.80 कि0मी0 पथांश केन्द्र सरकार के निदेशानुसार NHAI को हस्तान्तरित है। NHAI द्वारा प्रतिवेदित है कि उपरोक्त पथांश की मरम्मति मई–जून 2017 में किया गया है । वर्षा के उपरान्त NHAI द्वारा मरम्मति कार्य किया जा रहा है । कि0मी0 132 से कि0मी0 153 के चौड़ीकरण की योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित है । जिसमें चाण्डिल बाईपास शामिल है । एन0एच0–33 मुखिया होटल से चाण्डिल डैम रोड होते हुए चाण्डिल बाजार गोलचक्कर तक का स्वामित्व जल संसाधन विभाग के पास है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17 / 2018 454(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 568 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17 / 2018 454(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

295

मा0, स0वि0स0, श्री जगरनाथ महतो द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड में पी0डब्लू0डी0 के द्वारा के0बी0 रोड का निर्माण कराया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क बिरपोक, तेलखारा, बेरहा, मंझीलाडीह के नदियों और सुईयाडीह नहर से होकर गुजरती है, जिनमें बने पुल अति जर्जर है । जिसका निर्माण 1970–71 में हुआ है ; 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित अति जर्जर पुलों के कारण अप्रिय दुर्घटना एवं जान–माल की क्षति होती रहती है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुराने एवं अति जर्जर पुलों के स्थान पर नया पुल का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	पुलों का आकलन कर आवश्यकतानुसार पुलों के डी0पी0आर0 निर्माण के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–27/2018 453(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 483 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–27/2018 453(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
20.1.18

श्री कुणाल षाड़ंगी , मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–07 का उत्तर :–

<table>
<tr><th colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रखण्ड गुड़ाबांधा के बालीजुड़ी अगरापाड़ा, मुड़ाकाटी, बनमाकड़ी ग्राम पंचायत को विशेषकर पंडरापाथर, नाइकानशोल, बाडुटिया, मंदा तथा अन्य बहुत सारे गावों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना लागू नहीं होने के कारण हर वर्ष भीषण जलसंकट से जूझना पड़ रहा है;</td><td>पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत गुड़ाबांदा प्रखण्ड के बालीजुड़ी, अंगारपाड़ा, मुड़ाकाटी एवं बनमाकड़ी पंचायत के ग्राम पान्ड्रापाथर, नाईकनशोल, बाउटिया एवं मन्दा में पेयजल से संबंधित स्थिति निम्नांकित है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>पंचायत</th><th>ग्राम</th><th>जनसंख्या 2011 के अनुसार</th><th>चालू नलकूपों की संख्या</th><th>लघु जलापूर्ति योजना की सं०</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">बालीजुड़ी</td><td>पान्ड्रापाथर</td><td>626</td><td>14</td><td>–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नाईकनशोल</td><td>561</td><td>14</td><td>–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अंगारपाड़ा</td><td>मन्दा</td><td>605</td><td>13</td><td>–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मुड़ाकाटी</td><td>बाउटिया</td><td>1223</td><td>42</td><td>1</td></tr>
</table>
उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि गुड़ाबांदा के प्रश्नगत ग्रामों में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था निर्धारित मापदण्ड से अधिक है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित ग्राम पंचायतों एवं गांवों के जनताओं द्वारा बार–बार उपर्युक्त योजना को लागू कराने की मांग करने के बाद भी अभी तक इस दिशा में सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है;</td><td>बालीजुड़ी पंचायत के पान्ड्रोपाथर एवं नाईकनशोल तथा अंगारापाड़ा पंचायत के मन्दा ग्राम में गुड़ाबान्दा एक्शन प्लान के तहत् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्माण हेतु तकनीकी पहलुओं की जाँच की जा रही है। जाँचोपरान्त इन पंचायतों में जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित ग्राम पंचायतों एवं गाँवों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना (गुड़ाबांध एक्शन प्लान) को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर कार्यारम्भ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/टा०प्र०– 01–55/2017– 368 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 80 दिनांक– 08.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/टा०प्र०– 01–55/2017– 368 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/1/18

(297)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि० सभा० द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 23 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद में JnNURM के अन्तर्गत जलापूर्ति योजना को मार्च– 2017 में पूर्ण कर चालू करना था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि रेलवे द्वारा NOC प्राप्त होने के बाद भी अभी तक सभी जलमीनार नहीं बन पाये है;	JnNURM के अन्तर्गत 36 अदद् जलमीनार का निर्माण कार्य किया जाना था, सभी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में कुल 16 अदद् जलमीनारों का Testing भी हो चुका है। आद्रा रेल प्रमण्डल के द्वारा दिनांक– 18.10.2017 को एवं धनबाद रेल प्रमण्डल के द्वारा दिनांक– 05.10.2017 को NOC प्राप्त हो चुका है। रेलवे से सभी NOC प्राप्त होने के उपरान्त शेष कार्य प्रगति में है। शेष 31 अदद् जलमीनारों से मार्च 2018 तक प्रारंभ करा दी जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जलापूर्ति योजना को चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका– 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–70/2017– 362 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 448 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–70/2017– 362 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

23/01/18

(298)

श्री अरूप चटर्जी, सदस्य विधान सभा के प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–पेय0–39 के संबंध में माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड का व्यक्तव्य।

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>माननीय मंत्री का व्यक्तव्य</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि श्री राम प्रवेश सिंह, अधीक्षण अभियंता (योजना) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग विगत 12 वर्षों से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुख्यालय में पदस्थापित है?</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि श्री राम प्रवेश सिंह, अधीक्षण अभियंता, (यो०) मुख्यालय के विभिन्न पदों पर स्थानांतरित होकर कार्यरत रहे हैं:–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>पदनाम</th><th>अवधि</th><th>सम्पादित कार्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उप सचिव (प्र०)</td><td>1 वर्ष 7 माह</td><td>कनीय अभि० का स्थापना एवं योजनाओं की मोनोटरिंग</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कार्य० अभि० (गुण नि०)</td><td>2 वर्ष 5 माह</td><td>डी०पी०आर० की चेकिंग आदि कार्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कार्य० अभि० (मू०)</td><td>4 वर्ष 7 माह</td><td>राज्य बजट अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति / मोनीटरिंग संबंधी आंशिक कार्य।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अधी० अभि० (यो०)</td><td>3 वर्ष 6 माह</td><td>राज्य बजट अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति / मोनीटरिंग संबंधी सभी कार्य।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषय के आधार पर श्री सिंह अवधिबद्ध तरीके से उप सचिव (प्रबंधन) के पद पर दिनांक–23.12.2005 से 12.07.2007 तक कार्यपालक अभियंता (गुण नि0) सी0डी0ओ0 के पद पर दिनांक– 12.07.2007 से 05. 01.2010 तक कार्यपालक अभियंता (मूल्यांकन) के पद पर दिनांक–06.01.2010 से 22.07.2014 से लगातार आज दिनांक–10.01.2018 तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुख्यालय में बने हुए हैं, जो झारखण्ड कार्यपालक नियमावली, 2000 के नियमों का प्रतिकूल है?</td><td>खण्ड–1 में श्री सिंह के स्थानांतरण एवं संपादित कार्य संबंधी विवरणी अंकित है।
उक्त सभी स्थानांतरण कार्य हित में स्थानांतरण समिति द्वारा अनुशंसा एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विषयों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें स्थानांतरित करने संबंधी कार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>विभाग में अभियंताओं की कमी को देखते हुए बड़ी संख्या में जलापूर्ति योजना की स्वीकृति एवं मोनीटरिंग हेतु पी0एम0यू0 की बहाली प्रक्रियाधीन है। इसके कार्यरत होने के उपरांत श्री सिंह को किसी अन्य जिम्मेवारी /पद पर स्थानांतरण पर निर्णय लिया जायेगा।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
<u>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।</u>

ज्ञापांक–01 / वि0स0–08–1001 / 2018 344 राँची, दिनांक– 23/1/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–561, दिनांक–15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.18

(राकेश चन्द्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 / वि0स0–08–1001 / 2018 344 राँची, दिनांक– 23/1/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, प्रशाखा–5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.18

(राकेश चन्द्र)
सरकार के अवर सचिव

श्री शिव शंकर उराँव, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय०–12 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला नगर वासियों के लिए नागफेनी, कोयल नदी, इन्टेक वेल और खटवा नदी के इन्टेक वेल से पेयजल आपूर्ति की जाती रही है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खटवा नदी पम्प हाऊस लम्बे समय से खराब पड़ी है और वर्तमान समय सिर्फ कोयल नदी पम्प हाऊस से ही पानी की आपूर्ति की जाती है;	वस्तुस्थिति यह है कि माह अप्रैल 2016 से खटवा नदी का पेयजल स्त्रोत अपर्याप्त रहने के कारण पेयजलापूर्ति वर्तमान में सिर्फ कोयल नदी से ही जलापूर्ति की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि कोयल नदी पम्प हाऊस में दो मोटर लगे हैं परन्तु एक मोटर हमेशा खराब रहती है और तकनीकी रूप से खराब इंटेक वेल निर्माण के कारण पम्प में बालू आ जाता है जिसके कारण जलापूर्ति में हरेक माह विगत दो सालों से लगातार बाधा उत्पन्न हो जाती है और शहर वासियों के बीच त्राहिमाम की स्थिति रहती है।	आंशिक स्वीकारात्मक। खराब मोटर एवं इन्टेक वेल मरम्मति की कार्रवाई की जा रही है।
4.	क्या यह बात सही है कि कोयल नदी पम्प हाऊस मोटर और इंटेक वेल सुधार के नाम पर विभाग प्रति वर्ष करोड़ों रूपये व्यय करती है परन्तु समस्या के स्थायी समाधान नहीं करना चाहती है;	अस्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खटवा नदी के बंद पड़े पम्प हाऊस का पुर्नस्थापन करने और कोयल नदी जलापूर्ति पम्प हाऊस के दोनों मोटर तथा तकनीकी रूप से खराब इंटेक वेल का पुर्नस्थापन करके गुमला नगरवासियों के जलापूर्ति में हो रही समस्या का स्थायी समाधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुर्नगठित गुमला शहरी पाईप जलापूर्ति योजना हेतु नागफेनी के पास उत्तरी कोयल नदी को जलस्त्रोत मानकर जलापूर्ति योजना तैयार की गई है, जो अभी कार्यरत है। भविष्य में जल की उपलब्धता के आधार पर खटवा नदी आधारित योजना के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार

<u>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग</u>

ज्ञापांक :- 7/ता०प्र०- 01-62/2017- 359 राँची, दिनांक :- 23/11/18

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक- 230 दिनांक- 11.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 7/ता०प्र०- 01-62/2017- 359 राँची, दिनांक :- 23/11/18

प्रतिलिपि :- उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा- 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/11/18

(300)

मा0, स0वि0स0, श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड के राहम मोड़ से बड़गांव होते हुए मैक्लुस्कीगंज बालुमाथ मुख्य पथ तक पथ का निर्माण नहीं हुआ है ; 2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथ में पड़ने वाले गाँवों के ग्रामीणों को पथ के अभाव में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; 3. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग, चतरा द्वारा उक्त पथ का प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेजा गया है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपर्युक्त महत्वपूर्ण पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–30 / 2018 452(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 576 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–30 / 2018 452(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(301)

मा0, स0वि0स0, प्रो0 स्टीफन मराण्डी द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़िया से जामसोल भाया लखीजोल आर0ई0ओ0 सड़क (लम्बाई 12 कि0मी0) की स्थिति काफी जर्जर हो गयी है जिससे आवागमन में काफी कठिनाई होती है ; 2. क्या यह बात सही है कि खनन बहुल क्षेत्र होने के नाते सड़क पर सामान्य वाहनों के अलावे बड़ी वाहनों के परिचालन का दबाव बना रहता है ; 3. क्या यह बात सही है कि पाकुड़िया से रामपुरहाट के बीच लखीजोल में करोड़ों रूपये की लागत से पुल निर्माण करने के बाद भी सड़क की दयनीय स्थिति के कारण आवाजाही सुलभ नहीं हो पाता है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सड़क की गुणवत्ता बरकरार रखने के मद्देनजर जनहित में पाकुड़िया से लखीजोल तक सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–09/2018 455(S) राँची/दिनांक : 20/01/18
प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 120 दिनांक 09.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-1-18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–09/2018 455(S) राँची/दिनांक : 20/01/18
प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-1-18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(303)

माo, सoविoसo, श्री दीपक बिरूवा द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संo पथ–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पoनिoविo उत्तर
क्या मंत्री, पoनिoविo, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि पo सिंहभूम जिलान्तर्गत सारांडा वन क्षेत्र में गुवा सैलाई पथ का निर्माण फर्जी ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कराया गया है ;	गुआ–सलाई पथ के चौड़ीकरण योजना तकनिकी स्वीकृति प्रदत DPR पर स्वीकृत है । ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट DPR का अंग है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की चौड़ाई 3.5 मीटर के बदले अनाधिकृत रूप से जंगल पहाड़ काटकर चौड़ाई 25–30 मीटर की गई है ;	विषयांकित योजना अंतर्गत 3.5 मीo को 7 मीo में परिवर्तित करने का प्रावधान है ।
3. क्या यह बात सही है कि वन अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में बिना पर्यावरण की स्वीकृति के कोई कार्य नहीं किया जाना है ;	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के अंतर्गत राज्य पथों को पर्यावरण स्वीकृति से मुक्त किया गया है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियम विरूद्ध कार्य करने वाले तथा सरकारी राशि की दुरूपयोग एवं उक्त कार्य में संलिप्त पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	वन अपयोजन की स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–24/2018 456(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 489 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : पoनिoविo–11–ताoप्रo–24/2018 456(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(304)

प्रो0 जयप्रकाश वर्मा, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 40 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह सदर प्रखण्ड के बेरदौंगा और बदगुन्दा खुर्द तथा करहरबारी पंचायत के बड़कीटांड (आदिवासी बस्ती) के पंचायतों में पीने के पानी की बड़ी समस्या है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में गिरिडीह सदर प्रखण्ड के बेरदोंगा, बदगुन्दाखुर्द एवं करहरबारी पंचायत में नलकूप के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है :– क्र0 | पंचायत | जनसंख्या | चालू नलकूपों की संख्या 1. | बेरदोंगा | 3880 | 50 2. | बदगुन्दाखुर्द | 5038 | 63 3. | करहरबारी | 410 | 03 इस प्रकार उक्त पंचायतों में जलापूर्ति की व्यवस्था निर्धारित मापदण्ड से अधिक है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन पंचायतों में पीने के पानी पेयजल जलापूर्ति योजना के माध्यम से पाईप लाईन द्वारा घर–घर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भविष्य में सतही जलस्त्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–79/2017– 352 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 562 दिनांक– 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–79/2017– 352 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

(305)

मानीय विधायक श्रीमती जोबा मांझी, स. वि. स. द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. पेय. - 17 का उत्तर

क्र. सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी प्रखंड अंतर्गत टोमडेल, बान्दु, कमरोड़ा, जलासार पंचायत के ग्रामीण जलापूर्ति योजना वित्तीय वर्ष 2015 – 16 में टेंडर होने के बावजूद अबतक काम शुरू नहीं हो पाया है,	अस्वीकारात्मक। इस योजना का निर्माण जिला के द्वारा स्वीकृत है। गुदड़ी तथा बंदगांव प्रखंड के पंचायत टोमडेल, बान्दु, कमरोड़ा, जलासार, डोरियो कमरोड़ा तथा बीरकेल के विभिन्न ग्रामों में 20 अदद जलापूर्ति योजना निर्माण की स्वीकृति जिला द्वारा दी गई। प्रथम फेज में 20 अदद उच्च प्रवाही नलकूप (HYDT) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई। इनमें से 10 अदद उच्च प्रवाही नलकूप (HYDT) के निर्माण करवाया गया और 10 अदद स्थलों पर रिग मशीन के पहुँच पथ नहीं होने के कारण उच्च प्रवाही नलकूप (HYDT) के निर्माण नहीं हो सका।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं को पूर्ण कराने के संबंध में लापरवाही बरतने के कारण सफेद हाथी साबित हो रही है,	अस्वीकारात्मक। 10 अदद स्थलों जहाँ पर पहुँच पथ के अभाव के कारण HYDT का निर्माण नहीं हो सका वहाँ का स्थल परिवर्तन करने हेतु माननीय विधायिका से अनुशंसा प्राप्त कर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से अनुरोध किया गया है। 10 अदद सफल उच्च प्रवाही नलकूप (HYDT) में लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्माण हेतु ई निविदा आमंत्रित की गई लेकिन इस निविदा में एक भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिया गया। पुनः द्वितीय ई निविदा आमंत्रित की गई है और निविदा प्राप्ति की तिथि 01.02.2018 है। उसके पश्चात् कार्यादेश निर्गत कर दी जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उन योजनाओं को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों ?	खण्ड 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/ वि.स. (तारा.) – 04/2018 (पेय.) – 105/SWSM दिनांक 23.1.18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक सं. 465, वि.स. दिनांक 15.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/ वि.स. (तारा.) – 04/2018 (पेय.) — 105/SWSM दिनांक 23.1.18

प्रतिलिपि: अवर सचिव (प्र. - 5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/1/18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(308)

माननीय श्री अशोक कुमार, स. वि. स. द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. पेय–01 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में पिछले तीन–चार माह से नलकूप का साधारण मरम्मति कार्य बंद है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय नलकूप मिस्त्री/खलासी के द्वारा अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक गोड्डा जिला अंतर्गत निम्न नलकूपों की साधारण मरम्मति कर चालू करायी गयी– क्रम सं. / प्रखंड / नलकूपों की सं.: 1 / गोड्डा / 84 अदद 2 / पौड़ैयाहाट / 112 अदद 3 / सुन्दरपहाड़ी / 79 अदद 4 / पथरगामा / 51 अदद 5 / बसंतराय / 41 अदद 6 / महागामा / 45 अदद 7 / मेहरमा / 20 अदद 8 / ठाकुरगंगटी / 15 अदद 9 / बोआरीजोर / 17 अदद कुल / 464 अदद
2	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में करीब 2500 नलकूप के एक या दो राइजर पाईप खराब होने एवं साधारण मरम्मति के आभाव में बंद पड़ा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गोड्डा जिला के सभी प्रखंडों में सड़े राईजर पाईप के कारण कुल 2207 अदद नलकूप बंद है, जिसमें 1338 अदद नलकूपों में सड़े राईजर पाईप को बदलने के लिए DMFT मद से निविदा की प्रक्रिया की गयी है तथा शेष 869 अदद नलकूपों में सड़े राईजर पाईप को बदलने के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में विभाग के पास पिछले करीब 4–5 वर्षों से डिपार्टमेंटल स्टोर में रोटन राइजर पाईप उपलब्ध नहीं कराया गया है;	वस्तुतः यह कार्य निविदा के माध्यम से संवेदक द्वारा Turn Key के आधार पर कराया जाता है, जिसके कारण सड़े राईजर पाईप को बदलने के लिए विभाग के द्वारा पाईप क्रय नहीं किया जाता है, फलस्वरूप डिपार्टमेंटल स्टोर में विभाग द्वारा, राईजर पाईप उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
4	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभाग के डिपार्टमेंटल स्टोर में रोटन राइजर पाईप व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?	क्रमांक–3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

क्र. पृ. उ.

झारखंड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/वि. स. (ता.)–01/2018 पेय.-79/SWSM दिनांक 18-1-18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 22 वि. स. दिनांक 05.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

अवर सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि. स. (ता.)–01/2018 पेय. 79/SWSM दिनांक 18-1-18

प्रतिलिपि–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र. – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18

अवर सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

309

श्रीमती गीता कोड़ा, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–09 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नोवामुण्डी प्रखण्ड के सारंडा क्षेत्र के करमपदा, नोवागांव एवं भनगांव के ग्रामीणों के पेयजल, सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए पानी आपूर्ति का शिलान्यास दिनांक – 17 जनवरी, 2016 को नोवामुण्डी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों को उपस्थिति में किया था;	वस्तुस्थिति यह है कि झंडीबुरू के समीप उपलब्ध जलस्रोत (झरना) पर चैक डैम बनाकर योजना का निर्माण जिला परिषद् द्वारा सेल के सहयोग से किया गया था। प्रारंभ में करमपदा, नोवागांव एवं भनगांव में जलापूर्ति की जाती थी। वर्त्तमान में इस योजना से मात्र भनगांव में ही जलापूर्ति की जा रही है, क्योंकि इस योजना के जल स्रोत से रबर पाईप के द्वारा जलापूर्ति की जाती थी जो जंगल में आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गयी है। फलतः करमपदा एवं नोवागाँव में जलापूर्ति बन्द है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजना का कार्यान्वयन झंडीबुरू के समीप एक जल श्रोत पर चेक डेम बनाकर पाईपलाईन बिछाते हुए उद्धृत तीनों गांवो में पानी पहुँचाना था;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित योजना कार्यान्वयन हेतु वन विभाग ने अनापति प्रमाण पत्र जिला परिषद को सौपा था, तत्पश्चात जिला परिषद ने निविदा भी निकाला था फिर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;	योजना की निविदा जिला परिषद के द्वारा की गई थी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित गांवों की लगभग 3000 ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया करने हेतु उद्धृत योजना को धरातल पर उतारने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	नोवामुंडी प्रखंड के 63 ग्रामों में से 47 अदद् ग्रामों में बैतरनी नदी से जलापूर्ति हेतु 85.3689 करोड़ रूपये का निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। शेष 16 अदद् ग्रामों को, जिनमें से करमपदा, नवागांव एवं भनगांव भी सम्मिलित है, को भगौलिक दृष्टिकोण से नदी आधारित जलापूर्ति योजना से आच्छादित करना संभव नहीं होने के कारण इन ग्रामों में पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु डीप बोरिंग एवं सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का डी०पी०आर० परामर्शी के द्वारा बनाया जा रहा है। जलश्रोत एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर योजना निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–57/2017– 369 राँची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 115 दिनांक– 09.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/18

(शिव किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

23/1/18

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–57/2017– 369 रॉंची, दिनांक :– 23/1/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

23/01/18

310

मा0, स0वि0स0, श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बान्हो प्रखण्ड अन्तर्गत बिजुपाड़ा से खलारी, टण्डवा, केरेडारी, बड़कागाँव के निर्माणाधीन पथ पर के.डी. बाजार अवस्थित है ; 2. क्या यह बात सही है कि के.डी. बाजार के बीचो–बीच पथ होने के चलते भारी वाहनों के आवागमन के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ; 3. क्या यह बात सही है कि के.डी. बाजार से पहले रेलवे ओभरब्रिज से C.C.L कांटा घर के बगल से के.डी. साइडींग के सामने लगभग 01 कि0मी0 पथ निर्माण करा देने से दुर्घटना एवं जाम से नियंत्रण किया जा सकता है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खलारी स्थित के.डी. मुख्य बाजार से पूर्व बाईपास रोड का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	सुझाव के आलोक में Feasibility Study कराकर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–31/2018 457(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 577 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–31/2018 457(S) राँची/दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
20.1.18

(311)

मा0, स0वि0स0, श्री केदार हाजरा द्वारा दिनांक 24.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के देवरी प्रखण्ड अन्तर्गत फतेहपुर मोड़ से भेलवाघाटी होते हुए बोंगी (बिहार बोर्डर) तक की पथ की लम्बाई करीब 25 कि0मी0 है ; 2. क्या यह बात सही है कि पथ की लम्बाई अधिक रहने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इसकी रख–रखाव ठीक से नहीं हो पाता है, साथ ही पथ की स्थति जर्जर है ; 3. क्या यह बात सही है कि यह पथ दो राज्यों को जोड़ने वाली पथ है ; 4. क्या यह बात सही है कि खण्ड– (1) के पथ को अभी तक पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहित नहीं किया गया है ; 5. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फतेहपुर मोड़ से भेलवाघाटी होते हुए बोंगी सिमाना के पथ को ग्रामीण कार्य मामले से लेकर पथ निर्माण विभाग द्वारा सुदृढीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य कराने पर का विचार रखते है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–44 / 2018 458(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 632 दिनांक 16.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–44 / 2018 458(S) राँची / दिनांक : 20/01/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
20.1.18